कार्यालय कलेक्टर (निर्वाचन) राजनांदगांव

आदेश

क्रमांक/1410/स्था./2017

राजनादगांव, दिनांक 02/11/2017

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक/27/स्था./2017/1373 रायपुर, दिनांक 15.09.2017 के अनुसार राजनांदगांव जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पदों पर 4 माह के लिए भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पद पर एकमुश्त 13776/– पर निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31.01.2018 तक के लिए नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। दिनांक 31.01.2018 के पश्चात् संविदा पद स्वयमेव समाप्त हो जावेगा। आगे सेवावृद्धि नहीं की जावेगी।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता–पति का नाम	अभ्यर्थी के निवास का पता	पुरूष/ महिला	अभ्यर्थी का वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्री पीताम्बर/श्री मनहरण लाल साहू	ग्राम+पो.–चम्पारण, तह–अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)	पुरूष	अनारक्षित	निर्वाचक रजि./ तहसील कार्या.चौकी (विधानसभा क्षेत्र क.–77)
2	श्रीमती संजू साहू/श्री राहुल कुमार साहू	मोतीपुर गणेश पारा, वार्ड नं.–8, नया ढाबा रोड़, जिला–राजनांदगांव, पिन नं.–491441	महिला	अनारक्षित	निर्वाचक रजि./ तहसील कार्या. राजनांदगांव (विधानसभा क्षेत्र क.–75)
3	रेणुका/श्री जगनू राम देवांगन	ग्राम व पो.–जामगांव (एम) तह.–पाटन, जिला–दुर्ग, पिन नं.–491111	महिला	महिला अनारक्षित	निर्वाचक रजि./तहसील कार्या.डोंगरगढ़ (विधानसभा क्षेत्र क.–74)
4	रविकांत/श्री ओमप्रकाश	ग्राम व पो.–भरदाकला, तह.–गुण्डरदेही, जिला–बालोद, पिन नं.–491225	पुरूष	अन्य पिछड़ा वर्ग	निर्वाचक रजि./ तहसील कार्या. डोंगरगांव (विधानसभा क्षेत्र क.–76
5	जितेन्द्र कुमार खोब्रगढ़े/श्री नारायण खोब्रगढ़े	ग्राम–एकटकन्हार, पो.–कोर्समटोला, तह.–मोहला, जिला–राजनांदगांव, पिन नं.–491666	पुरूष	अनु.जाति	निर्वाचक रजि./ तहसील कार्या. मोहला तहसील (विधानसभा क्षेत्र क.–78)
6	श्री दिनेश कुमार ठाकुर/नकुल राम ठाकुर	आजाद चौक मोतीपुर वार्ड–08 राजनांदगांव (छ.ग.) 491441	पुरूष	अनु.जनजाति	निर्वाचक रजि./ तहसील कार्या.खैरागढ़ (विधानसभा क्षेत्र क.–73)

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :–

(1) यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं दिनांक 31.01.2018 तक होगी।

(3) उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(5) संबंधित अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं किया जावेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(7) उपरोक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित 7 दिवस के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर यह माना जायेगा कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते है, उनकी नियुक्ति निरस्त समझा जावेगा।

(8) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय आपको निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

(अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र अथवा अंकसूची।

(ब) उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र) साथ ही क्रीमी–लेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)

(स) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।

(द) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण–पत्र।

(इ) कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण–पत्र।

(फ) स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण–पत्र।

(क) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग–पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)

(9) उपस्थिति के समय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(10) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण–पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

(11) आरक्षित प्रवर्ग–(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर सेवा से पृथक किया जावेगा तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।

(12) सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, और न ही किसी राजनैतिक किया–कलाप में लेंगे।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क./ 1410 /स्था./2017
राजनांदगांव, दिनांक 02/11/2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव/डोंगरगांव/मोहला/डोंगरगढ़/खैरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, खैरागढ़/डोंगरगढ़/राजनांदगांव/ डोंगरगांव/छुरिया/मोहला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व संबंधित श्री .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजनांदगांव (छ.ग.)